न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1454-तीन/2009 - विरूद्ध आदेश दिनांक 08-09-2008 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन

व्यॅकटेश्वर प्रसाद पुत्र बॅशबहादुर ब्राहमण
ग्राम मल्देवहा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

1- हनुमान प्रसाद (मृतक) पुत्र केशरीप्रसाद

वरिस

(अ) श्रीमती देववती पत्नि स्व. हनुमान प्रसाद
(ब) कृपाशॅकर पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद द्विवेदी
(स) वृजभूषण पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद
(द) योगेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व.हनुमान प्रसाद

2- संजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद
सभी ग्राम मल्देवहा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश

3- मध्य प्रदेश शासन --- रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री ए0पी0तिवारी)
(रिस्पा. के सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 21-6-2017 को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलॉट ने कलेक्टर, सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 22/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 29 जनवरी, 2002 के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान पेशी 31 अगस्त, 2009 को अपीलॉट एंव उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अपीलॉट एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से आदेश दिनांक 31-8-2009 द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(2) के अंतर्गत निगरानी अदम पैरबी में खारिज कर दी। अपीलांट ने प्रकरण के पुर्नस्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष निगरानी प्रकरण में पेशी 31-8-2009 को अपीलांट तथा अभिभाषक अनुपस्थित रहे जिसके कारण प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ, जबकि अदम पैरबी के आदेश दिनांक 31-8-2009 पर से प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 1-9-2009 को दूसरे दिन प्रस्तुत कर दिया था जिसे स्वीकार करना था तथा मूल मामले का निराकरण करते हुये न्यायदान करना था, किन्तु आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 8-9-2009 से प्रकरण पुर्नस्थापित न करते हुये पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

5/ अपीलॉट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 293/2001-02 निगरानी तथा प्रकरण कमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन के अवलोकन पर परिलक्षित है कि आयुक्त रीवा

संभाग,रीवा ने प्रकरण क्रमांक 293/2001-02 निगरानी आदेश दिनांक 31-8-2009 से अदम पैरबी में निरस्त किया है तथा अपीलांट ने अभिभाषक के माध्यम से पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 1-9-2009 अर्थात प्रकरण अदम पैरबी में खारिजी आदेश के दूसरे दिन प्रस्तुत कर दिया है। पुर्नस्थापन आवेदन का पद 3 इस प्रकार है :-

" दिनांक 31-8-2009 को अधिकृत अधिवक्ता अन्य न्यायालय में कार्यवाही हेतु व्यस्त थे जिस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष सहवन भूलवश अपने को उपस्थित नहीं रख पाया है जो क्षम्य किये जाने योग्य है बल्कि अपने जूनियर अभिभाषक को माननीय न्यायालय में पैरबी हेतु भेजा था किन्तु जूनियर अधिवक्ता पेशकार से मिलकर बोर्ड डायरी से पेशी जान लेने की बात समझकर वापस आ गया कुछ समय पश्चात जैसे ही पुनः न्यायालय गया तो पता चला कि प्रकरण अदम पैरवी में खरिज हो चुका है ।"

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि दिनांक 31-8-09 को अपीलांट की ओर से नियुक्त अभिभाषक के जूनियर पर भरोसा करने तथा जूनियर द्वारा बोर्ड डायरी से आगामी पेशी लेने के भ्रम के कारण अदम पैरबी की स्थिति बनी है जिसमें अपीलांट को दोषी ठहराकर न्याय से बंचित करना उचित नहीं माना जा सकता ।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 35 (3) - राजस्व न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरबी में प्रकरण खारिज किया गया - आगामी दिन पुर्नस्थापन आवेदन आने पर पुर्नस्थापन आवेदन पोषणीय है।

मनीराम विरूद्ध नजर मोहम्मद , 1962 रा0नि0 185 में व्यवस्था दी गई है कि अभिभाषक की अनुपस्थिति में अपील खारिज किये जाने पर उसके लिये पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार सुबान शाह विरूद्ध मोहम्मद नासिर शाह 1995 रा0नि0 248 का दृष्टांत है कि अधिवक्ता की अनुपस्थित में प्रकरण खारिज नहीं किया जाना चाहिये और पक्षकार को विधिवत् सूचना पत्र दिया जाना चाहिये। अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विचाराधीन प्रकरण में आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने अदम पैरबी आदेश दिनांक 31-8-2009 पर से दिनांक 1-9-09 को प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पर उक्त के

प्रकाश में परीक्षण कर प्रकरण पुर्नस्थापित न करने में भूल की है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 23/2008-09 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 8-9-2009 एंव प्रकरण कमांक **293/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-8-2009** त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा की ओर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि प्रकरण कमांक **293/2001-02 निगरानी में सभी हितबद्व पक्षकारों को गुणदोष के आधार पर श्रवण कर विधिवत् आदेश पारित करें।**

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर